चोर-पुलिस मौसेरे भाई!

फ़रीदाबाद (म.मो.) घटना 16 दिसम्बर के आसपास की है। एक व्यवसायी बन्धु अपने मथुरा रोड पर स्थित ऑफिस से 28 सेक्टर अपने घर लौट रहे थे। बड़खल मोड़ से वह 28 सेक्टर की तरफ़ मुड़े तो आगे फल वगैर की रेहड़ी देखकर उन्होंने फल खरीदने के लिये अपनी गाड़ी रोक ली। इतनी देर में एक आदमी ने आकर उनका शीशा ठकठकाया और कहा कि आपकी गाड़ी में पीछे कुछ लगा है। ये महाशय अपनी गाड़ी देखने लगे उधर दूसरी तरफ़ का दरवाजा खोल इस चोर गैंग का आदमी उनका लैपटाप बैग ले उड़ा। बैग में लैपटाप के अलावा 75 हज़ार रुपया व जरूरी काग़जात थे। व्यवसायी बन्धु को पैसों से ज़्यादा अपने लैपटाप की चिंता थी क्योंकि उसमें बहुत जरूरी जानकारियां स्टोर की हुयी थी वह तुरन्त 28 सैक्टर की पुलिस चौकी पहुंचे और घटना की सूचना दी। पुलिस ने अपनी परंपरा के मुताबिक कोई एफ. आई. आर दर्ज नहीं की। लेकिन व्यवसायी सयाने और समझदार थे। उन्होंने पुलिसवालों से कहा साहब पैसे मिले ना मिलें कोई बात नहीं और ना मुझे एफ़ आई. आर की जरूरत पर मेरा लैपटाप और कागजात ढूंढवा दो।

पुलिस वाले भी समझदार थे इशारा समझ गये। अगले ही दिन व्यवसायी को बुला उसका लैपटाप उनके हवाले कर दिया और एहसान टेकते हुए कहा कि बहुत मुश्किल से ढूंढा है। सारी रात लगे रहे हैं। इस काम में! हां 75 हज़ार रुपया जो चोरी गये ये वो तो मिले नहीं, ऊपर से 15 हज़ार और ऐंठ लिये पुलिस वालों ने अपनी रात भर की 'भागदौड़' के नाम पर!

क्या अब भी किसी को 28 सेक्टर की पुलिस चौकी की 'ईमानदारी' और 'कर्त्तव्यपरायणता' पर कोई शक हो सकता है? अलग न्यूज है यहों से पहली घटना 15 दिसम्बर की है। सेक्टर 16 में शांपिग सेन्टर के सामने शाम को हर दिन की तरह खूब भीड़ थी। गाड़ियों से पार्किंग भरी थी। यहां 'इजी डे' नामक डिपार्टमेन्टल स्टोर के सामने गाड़ी खड़ी करके गौरव, गोवर्धन अपने साथियों के साथ स्टोर में सामान खरीदने गये। पीछे से किसी ने गाड़ी का ताला तोड़कर डिक्की में से दो सामान के बैग और आगे एक बैग जिसमें 36500 रुपया थे चुरा लिये। किसी के 100 नम्बर पर फ़ोन करने पर पुलिस की पी.सी. आर गाड़ी पहुंच गयी। तब पता चला कि चोर उस 15 मिनट में वहां खड़ी चार गाड़ियों के ताले तोड़कर उनमें से सामान निकाल ले गये। पी. सी. आर वालों को तुरन्त कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने एक संदिग्ध कार का लगभग सही रजिस्ट्रेशन नम्बर और उसमें गये युवक व युवती का हुलिया भी बता दिया। लेकिन पी.सी. आर वालों ने उल्टा इन सब लोगों को ही धमकाया कि गाड़ी लॉक करते नहीं हो और फिर ये नाटकबाज़ी करते हो। उन्होंने सभी पीड़ीतों को सलाह दी कि वे सामने 16 सैक्टर की पुलिस चौकी में जाकर शिकायत दर्ज करायें।

मामला यही खत्म नहीं हुआ। 16 सैक्टर की पुलिस चौकी में गये इन सब लोगों से लिखित शिकायत तो ले ली गई लेकिन चार-चार गाड़ियों में चोरी होने के बावजूद एक भी एफ. आई. आर दर्ज नहीं की गई। इस बारे में थाना सैन्ट्रल के एस.एच. ओ को भी सूचित कर दिया गया लेकिन एफ.आई.आर दर्ज करवाने व पी.सी. आर के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने में वे भी नाकामयाब रहे। जनता बार-बार पूछ रही है कि क्या त्वरित कार्रवाई का दम भरने वाली पी.सी. आर का काम सिर्फ़ चौकी का पता बताना या वहां शिकायत करने की सलाह देना ही है। इससे तो बेहतर है कि जनता के पैसों से गाड़ी में बैठकर घूमनेवाले इन 'लड़धूओं' को कहीं मेहनत मजूरी के काम में जोता जाये। क्योंकि अपनी सुरक्षा तो आखिरकार जनता ने फ़िर खुद ही करनी है।

शनिवार 21 दिसम्बर को 18 सैक्टर में रहनेवाले गोयल साहब अपने किसी रिश्तेदार का हाल पूछने 16 सेक्टर स्थित मेट्रो अस्पताल गये। घटना शाम के समय की है। गोयल साहब ने अपना स्कूटर मेट्रो अस्पताल की दीवार के साथ बाहर 16 व 16 ए की बीच वाली रोड की तरफ़ खड़ा किया और अस्पताल चले गये। वापिस आये तो देखा कि स्कूटर गायब था। उन्होंने तुरन्त 100 नम्बर पर फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी। उसके बाद वे 16 सेक्टर की पुलिस चौकी में पहुंचे चोरी की रिपोर्ट लिखवाने।

चौकी में स्कूटर चोरी की सूचना पुलिस कन्ट्रोल रूम से पहले ही पहुंच चुकी थी। स्कूटर मालिक ने सारी घटना वहां बताते हुये एफ़. आई. आर दर्ज करने की प्रार्थना की। इस पर पास ही खड़ा चौकी इन्चार्ज, वहां पकड़कर लाये गये दो गरीब से आदमी और औरत पर बरस पड़ा। खूब जोर से मां बहन की गालियां देते हुये उन्हें कहा कि सालो तुम्हारे कारण हम परेशान हैं। चोरी तुम करते हो और परेशान हम होते हैं। तुम्हें साले अबकी बार नहर में फेकूंगा। तुम्हारे यहां डंडा चढ़ा दूंगा, वहां डंडा चढ़ा दूंगां आदि। इतनी भद्दी गालियां सुनकर स्कूटर मालिक को वहां बैठना भारी लगने लगा। फ़िर भी जैसे तैसे उन्होंने मुंशी से एफ. आई. आर लिखने की प्रार्थना की। इस पर मुंशी ने कहा कि देख नहीं रहे लाला जी, साहब कितने गरम हो रहे हैं आप अपनी शिकायत लिख कर दे जाओ। फ़िर जब साहब का मूड ठीक हो तब आना।

लेकिन क्योंकि गोयल साहब को डर था कि उनका स्कूटर कहीं कोई जुर्म करने में इस्तेमाल न कर ले और वे कहीं फस न जायें लिहाजा उन्होंने फ़िर अपनी प्रार्थना दोहराई। इस पर 'साहब' ने इनको। सुनाकर उन गरीबों पर फिर गालियों की बौछार की। मतलब यह कि जब भी गोयल साहब एफ़. आई. आर की बात करते उधर से साहब गालियों की बरसात शुरू कर देते। झख मारकर उनको पुलिस वालों की बात माननी पड़ी। लेकिन पुलिस वालों ने उनसे एक नहीं दो अलग-अलग शिकायतें लिखवाई। एक में उनसे लिखवाया गया कि मेरी स्कूटर की आर.सी. व अन्य काग़ज, बैंक की पासबुक आदि जरूरी कागज कहीं गुम हो गये हैं। दूसरी रिपोर्ट उन्होंने स्कूटर गुम होने की लिखवाई। दोनों ही शिकायतें ना तो दर्ज की गई व ना ही मोहर मारकर उनकी प्राप्ति दी गई। अगले दिन जाकर फ़िर से चौकी पर पता किया तो शिकायत की डी.डी.एंट्री की गई। साथ ही आसपास के दो तीन कबाड़ियों के पते बताकर-बाटा पर, गोपी कालोनी के पीछे उन्हें अपना स्कूटर वहां ढूंढने की हिदायत देकर गोयल साहब को वहां से रूखसत कर दिया गया। यह हाल तो तब है जब कन्ट्रोल रूम में बैठी एक सिपाही स्कूटर मालिक की जानकार थी और उसने दो बार फ़ोन करके चौकी में एफ़.आई.आर दर्ज करवाने की कोशिश की।

निश्चित रूप से हुड्डा साहब और फ़रीदाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस, ज़िले में जुर्म कम होने के लिये अपनी पीठ थपथपायेंगे लेकिन वे समझ लें कि जनता जो भुगत रही है वह चुप नहीं बैठेगी।

इन सारे वाकियात से 'इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर' कहानी याद आ जाती है जिसे हम पाठकों के लिये अपने किसी अगले अंक में प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। जिससे खुद पाठक समझ जायेंगे कि वह आजकल के हालात में कितनी प्रासांगिक है। ■

लचर ट्रैफ़िक व्यवस्था कैसे सुधरेगी
जब नीयत ही खराब हो

फ़रीदाबाद (म.मो.) हाई कोर्ट की कड़ी फ़टकार के बावजूद शहर की ट्रैफ़िक व्यवस्था में कोई सुधार होना तो दूर, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ज़िला प्रशासन, नगर निगम, हूडा तथा आर टी ए (क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण) तो इस समस्या से पूरी तरह उदासीन हैं। इनका तो एकसूत्री कार्यक्रम लूटना व खाना ही रह गया है। सड़कों का रख-रखाव, वांछित स्थानों पर पार्किंग एवं रिक्शा तथा आटो स्टैंड बनाना निगम तथा हूडा का दायित्व है, जिसकी इन्हें कतई कोई परवाह नहीं, अवैध वाहनों को सड़कों पर चलने से रोकने में आर टी ए भी उतना ही सक्षम है जितनी कि पुलिस; लेकिन ले-देकर यह भी अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेता है।

अब बचता है महकमा पुलिस। उपरोक्त बताये गये विभाग प्राय: जनता की नज़र में नहीं चढते। पुलिस का ही महकमा ऐसा है जो दूर से ही नज़र में चढता है। इसके पास व्यापक अधिकार तथा बल भी है। ट्रैफ़िक नियन्त्रण एवं निगरानी करने से अपराधों की रोक-थाम में भी काफ़ी सहायता मिलती है, जो कि पूर्णतया पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। पुलिस अकेले भी, चाहे तो उपरोक्त महकमों के सहयोग बिना भी ट्रैफ़िक नियन्त्रण कर सकती है और जैसा-तैसा कर भी रही है।

सवाल यह उठता है कि जब बाकी सारे महकमे हरामखोरी व लूट-मारी में जुटे हैं तो पुलिस किसी से पीछे क्यों रहे। लिहाज़ा वे भी पूरे जोर-शोर से लूट कमाई में व्यस्त हैं। अवैध वाहन इस लूट का सबसे बेहतरीन स्रोत है। हज़ारों की संख्या में चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉले-ट्रालियां इसका एक प्रमुख उदाहरण है। केवल कृषि-कार्य के लिये बने ट्रैक्टर कोई भी व्यावसायिक कार्य नहीं कर सकते। यदि किसी ने करना भी हो तो इसके लिये बाकायदा सरकारी नियम हैं। उस ट्रैक्टर को व्यावसायिक टैक्स भरकर परमिट तथा फ़िटनेस प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है। लेकिन कोई भी ट्रैक्टर वाला इस कानूनी 'लफ़ड़े' में पड़ने की बजाय पुलिस को मंथली, हफ़्ता अथवा इन्ट्री देना ज़्यादा बेहतर समझता है।

करीब 3 वर्ष पूर्व 'मज़दूर मोर्चा' द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार 1200 ऐसे ट्रैक्टर ट्रैफ़िक पुलिस के पास दर्ज थे जो हज़ार रुपया मासिक देते थे। आज कितने हैं या नहीं हैं अथवा मंथली का रेट बढ गया या घट गया, कहा नहीं जा सकता। शहर के भीतर-भीतर चलने वाले इन ट्रैक्टरों के अलावा, इनसे भी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर शहर के बाहर से ईंटे, रोड़ी-बजरी, रेत-मिट्टी इत्यादि लेकर शहर में आते हैं। ये प्रति चक्कर के हिसाब से पुलिस नाकों पर 'इन्ट्री' देते हैं जो 50 से लेकर 100 रुपया तक हो सकती है।

लगभग सभी ट्रैक्टर बहुत ही लापरवाही और बेफ़िक्री से सड़क पर इस अंदाज में चलते हैं मानो कह रहे हों कि किसी ने बचना हो तो बच लेना हमें तो किसी प्रकार का

खतरा है नहीं। ऐसा इसलिये होता है कि दुर्घटना हो जाने पर इनके पास तो खोने के लिये कुछ होता नहीं और दूसरे का कुछ बचता नहीं, खासकर कार व दुपहिया वाले का। अधिकांश ट्रैक्टर वालों के पास न तो कोई दस्तावेज़ होते हैं और न ही वे सड़क पर चलने के लायक होते हैं। और तो और इनकी हेड लाइट व पीछे लाल बत्ती तो क्या कोई रिफलेक्टर तक भी नहीं होता। जिसकी वजह से रात में ये यमदूत की तरह खतरनाक हो कर चलते हैं।

शायद ही कोई दिन ऐसा निकलता होगा जब इन ट्रैक्टरों व डम्परों से कोई दुर्घटना न होती हो। चर्चा केवल तब ही होती है जब कोई मौत हो जाती है। अभी गत सप्ताह ही पर्वतीया कॉलोनी का एक 27 वर्षीय बाइक सवार इन्जीनियर ईंटो से लदी एक ट्रैक्टर ट्राली से टकरा कर मारा गया। कोई, ही माह खाली जाता होगा जब इन ट्रालियों व डम्परों की चपेट में आकर 2-4 लोग अपनी जान से हाथ न धोते हों।

डम्परों का आतंक तो और भी बुरा हैं। इनको चलाने वाले ड्राइवरों में से शायद ही किसी के पास वैध लाइसेंस हो। चोरी के पत्थरों को जिस बुरी तरह से लाद कर ये चलते हैं, उन्हें देखकर ही डर लगता है। बेहिसाब लदे पत्थर अक्सर सड़क पर गिर कर दुर्घटना का कारण बनते हैं। गुड़गांव जाने वाली सड़क पर तो इनका अजब तमाशा रहता है। जब ये एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में बराबर-बराबर चलते हैं तो इनके पीछे दर्जनों कारें अटक जाती हैं। ट्रैफ़िक पुलिस की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वे इस तरह से सारी सड़क घेर कर चलने की बजाय एक दूसरे के पीछे लाइन लगा कर चलें जैसे कि दिल्ली में चलते हैं। शहर की तमाम सड़कों के किनारे पर जहां-तहां खड़े ट्रक व बड़े-बड़े ट्राले जब चाहें यातायात को बाधित कर देते हैं। बाटा चौक से हार्डवेयर चौक पर तो इनका आतंक कुछ ज़्यादा ही है।

नीलम चौक से अज़रोंदा की तरफ़ जब पुल से उतरते हैं तो वहां सड़क किनारे बनी अवैध नर्सरी, गमलों तथा मूर्तियों की दुकान उस समय वाहन चालकों के लिये मुसीबत बन जाती है जब कोई वाहन वहां खरीददारी करने को ठहर जाता है। इसके चलते पूरा पुल वाहनों से भर जाता है। शहर का मुख्य केन्द्र होने, और वहां से तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के गुजरने के बावजूद किसी की आंखों में ये बिक्री स्थल नहीं खटकते।

इसी के दूसरी तरफ़ यानी कि अजरोंदा से नीलम की ओर चढते हुए, ठीक ए सी पी कार्यालय के सामने 5-7 आटो जरूर खड़े रहते हैं। इसकी वजह से पुल पर चढने वाले वाहनों की कतार जीटी रोड तक को अवरुद्ध कर देती है। इसके अलावा भी आटो तथा अन्य वाहन जहां-तहां सड़क किनारे खड़े होकर यातायात अवरुद्ध कर देते हैं। कुल मिलाकर प्रशासनिक कुप्रबन्धन की वजह से जनता इस समस्या को भुगतने के लिये अभिशप्त है।

हाई कोर्ट में अपनी इस समस्या का कारण सी पी

साहब कम ट्रैफ़िक स्टाफ़ को बताते हैं। जबकि उनकी यह दलील बिल्कुल खोखली व निराधार है। शहर भर में 150 से अधिक पुलिसकर्मी ट्रैफ़िक स्टाफ़ में तैनात हैं। इनके अतिरिक्त समय-समय पर होम-गार्डस व अन्य लुंगाड़े (आर एस ओ वाले) अलग से होते हैं।

यह एक कटु सत्य है कि ज्यों-ज्यों ट्रैफ़िक स्टाफ़ की संख्या बढती गयी त्यों-त्यों रिश्वतखोरी व ट्रैफ़िक समस्या भी बढती गयी। समझ नहीं आता कि सारा ज़ोर स्टाफ़ की संख्या बढ़ाने पर क्यों है? जो है क्या उससे सही काम लिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टाफ़ में सबसे अधिक संख्या सिपाहियों व हवलदारों की है। इनको सिर्फ़ हाथ हिलाने या सड़कों पर सजावटी गुल-दस्तों की तरह खड़ा रखा जाता है। इन्हें कोई बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं दी जाती कि इन्हें रिश्वतखोर समझा जाता है। यहां प्रश्न यह पैदा होता है कि किस पद पर बैठा पुलिसकर्मी रिश्वतखोर नहीं है? सिपाही से लेकर डी जी तक कोई भी इस बिमारी से पाक-साफ नहीं है। यदि सिपाही रिश्वतखोरी करता है तो इसके लिये उसका थानेदार और यदि उसका थानेदार रिश्वतखोर है तो इसके लिये उसके उच्चाधिकारी दोषी हैं। छोटे मुलाजिम तो बड़ों की फटीक भुगतने के लिये ही कमाते हैं और बहती गंगा में अपना हाथ भी धोते हैं।

देश में हर साल 18 लाख लोग होते हैं पुलिस अत्याचार का शिकार

संयुकत राष्ट्र की एक रिर्पोट के अनुसार, भारत में हर दिन 43 लोग हिरासत में मर जाते हैं। दस साल के अंतराल, 2001 से 2010 , के दौरान हुई घटनाओं का अध्ययन करते हुए इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में हर साल 18 लाख लोग पुलिस अत्याचार का शिकार होते हैं। यह अध्ययन मानवाधिकार संगठनों और भारत के सार्वभौमिक नियतकालीन समीक्षा (यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू) के गठबंधन से अस्तित्व में आये मानवाधिकार कार्यदल द्वारा किया गया।

भारत में पिछले दिनों पुलिस हिरासत में हुई कुछ अमानवीय घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ़ खींचा। दंतेवाड़ा इलाके के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली आदिवासी शिक्षिका सोनी सोरी को पुलिस ने माओवादियों से सहानुभूति रखने के इल्जाम में गिरफ़्तार कर लिया। सोरी पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने माओवादियों की तरफ़ से एस्सार ग्रुप पर 15 लाख रुपये देने का दबाव डाला था।

यह इल्ज़ाम अभी तक साबित नहीं किया जा सका है। परन्तु उन पर पुलिस हिरासत में बेहिसाब जुल्म ढाये गये। उनके लिखे पत्र के अनुसार, "8 और 9 अक्टूबर, 2011 को पुलिस वाले मुझे दंतेवाड़ा पुलिस स्टेशन की जेल की कोठरी से निकालकर पुलिस महानिदेशक अंकित गर्ग के कमरे में ले गये, जहां तीन आदमियों ने मुझे निर्वस्त्र कर दिया। मुझे बिजली के झटके दिये गये और मेरे गुप्तांगों में पत्थर ठूंस दिये गये।" इन अमानवीय अत्याचारों से वह बेहोश हो गयी। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर की गयी एक स्वतंत्र चिकित्सा जांच में, एनआरएस मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता के डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि की कि उनकी योनि और गुदा में पत्थर पाये गये। परन्तु मेडिकल रिपोर्ट में इस अमानवीय अत्याचार की पुष्टि होने के बावजूद, कुछ महीने बाद, अंकित गर्ग को वीरता के लिये पुलिस पदक से नवाजा गया जो सरकारी पक्ष का हाल बयान करने के लिये पर्याप्त है। दरअसल देश भर में कहीं भी उठने वाली विरोध की आवाज़ों को कुचलने के लिये यंत्रणा देने का इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, विशेष तौर पर अधिकृत इलाकों में, जैसे उत्तर-पूर्व और कश्मीर में, अक्सर इस तरह के अमानवीय अत्याचार किये जाते हैं। ऐसा करते हुए भारत सरकार, 1987 में 20 देशों के अनुमोदन से अस्तित्व में आये यंत्रणा समझौता की भावना से खिलवाड़ करती है जिसे उस वक्त 20 देशों के समर्थन से मंजूर किया गया था। दरअसल भारत सरकार ने यंत्रणा के मकसद से अपने यहां कोई कानून नहीं बनाया है। कुछ साल पहले यंत्रणा निरोधक कानून (प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल) को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक लोकसभा में पास भी हो गया था, पर इसमें इतनी खामियां थी कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया। नये विधेयक का मसौदा तैयार तो किया गया पर उसे फ़िर दुबारा संसद में पेश नहीं किया गया है और वह संसद के किसी अंधियारे कोने में पड़ा धूल फांक रहा है।

-देश-विदेश